वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया
स्वैच्छिक संगठनों की शीर्ष निकाय
स्थापना वर्ष 1988
स्वैच्छिक क्षेत्र की आवाज़
वाणी

ई - वाणी

अंक 14 जून–जुलाई 2015

इस अंक के भीतर

पृष्ठ 03
गृह मंत्रालय की उचित व्याख्या

पृष्ठ 05
आयकर और इसमें सुधार की जरूरत पर आयोजित बैठक की रिपोर्ट

पृष्ठ 07
बिट्रिज बेल इंडसॉल, मैक्सिको के साथ साक्षात्कार

संपादकीय

एसडीजी: अब क्या?

प्रिय सदस्यो, एसोसिएट सदस्यो और मित्रो,

लगभग पंद्रह वर्ष पहले संयुक्त राष्ट्र द्वारा एमडीजी (सहस्राब्दि विकास लक्ष्य) तय किए गए थे। सरकार, सिविल सोसाइटी और निजी क्षेत्र असमानता को दूर करने के लिए एमडीजी को एक परस्पर सहमत एजेंडा के तौर पर लेकर संगठित हुए। तथापि, देशव्यापी स्तर पर संचालित समीक्षा प्रक्रियाओं ने संयुक्त राष्ट्र को महसूस कराया कि हमारे यहां अब भी बेहद गरीबी और भुखमरी है जिसमें कारगर उपाय करने के लिए अगले पंद्रह वर्ष लग सकते हैं। एमडीजी के पंद्रह वर्षों के दौरान किए गए विभिन्न विश्लेषणों से भी व्यवस्था में विभिन्न न्यूनताएं उजागर हुईं। इन विश्लेषणों ने एमडीजी तय करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। अतएव, सरकारों, संयुक्त राष्ट्र, सिविल सोसाइटी और अन्य हितधारकों ने एसडीजी तय करने के लिए व्यापक विचार–विमर्श की प्रक्रिया आरंभ की। ऐसे कार्यों के लिए सबसे अधिक प्रतिनिधि और वैध स्थान होने के नाते, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख मंच के तौर पर स्वाभाविक पसंद था। अब, जबकि एसडीजी को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसकी बेहद संभावना है कि संभवतः सितंबर 2015 में आम सभा में विभिन्न सरकारों द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया जाएगा, प्रश्न यह है कि इसके बाद क्या? अब हमारे सामने तीन चुनौतियां हैं, जो एसडीजी की सफलता के लिए पहले से आवश्यक हैं, ये हैं वित्तपोषण, निगरानी के लिए लक्ष्य उन्मुख सुपरिभाषित सूचक और लोगों की सहभागिता।

वित्तपोषण:

कुछ महीने पहले एसडीजी हासिल करने के लिए धनराशि के आबंटन के मुद्दे पर विचार–विमर्श करने के लिए एडिस अबाबा (इथियोपिया) में विकास हेतु वित्तपोषण परामर्श का आयोजन किया गया। सरकार के प्रमुख या उनके प्रतिनिधि, सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ता, निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि वित्तपोषण के तरीकों पर चर्चा और खोज करने के लिए एकत्रित हुए। यद्यपि चर्चा का विषय कराधान सुधारों के माध्यम से प्रत्येक देश में नवीन वित्तपोषण के तरीके सुझाने पर था, किंतु दक्षिणी गोलार्ध के बहुत से देशों को अब भी बाहरी सहयोग की जरूरत है। विवेचना से यह स्पष्ट था कि बहुत से परंपरागत दानदाता न केवल अपनी प्रतिबद्धता को कम करना चाहते हैं बल्कि अपनी वैश्विक जिम्मेदारी से पल्ला भी झाड़ना चाहते हैं। वैश्विक पर्यावरण में परिवर्तन की चुनौती, जिसका विश्व की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, से लेकर संयुक्त राष्ट्र पूल में अपना अंश देना

बीबी–5, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश इन्क्लेव–2, नई दिल्ली – 110 048 (भारत)
फोनः 91–11–29228127, 41435535, 29226632, फैक्सः 91–11–41435535
ई–मेलः info@vaniindia.org वेबसाइटः www.vaniindia.org

वाद–विवाद का मुद्दा रहा। विकासशील देशों खासकर अफ्रीका और एशिया के देशों ने अपनी चिंता जताई। प्रमुख भागीदार के तौर पर निजी क्षेत्र की भूमिका को उभारने वाले दस्तावेज ने दुर्भाग्य से सिविल सोसाइटी की भूमिका पर चुप्पी साधे रखी। आज हम इससे सहमत हैं कि उत्तर में दक्षिण है और दक्षिण में उत्तर, और वित्तीय सहयोग प्रदान करने के लिए हमें एक व्यापक मानचित्र की जरूरत है। यदि वैश्विक सहयोग के माध्यम से वित्तपोषण उपलब्ध नहीं कराया गया तो एसडीजी के दैनिक कार्यों में मुश्किलों के साथ ही कोई ठोस परिणाम नहीं मिलेगा और हमें अगले पंद्रह वर्षों के समय की जरूरत होगी।

सूचकों का गठन और सिविल सोसाइटी की भूमिका

अब निगरानी के लिए सूचकों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया आरंभ होगी। आज हमारे पास 169 सूचक हैं, और अनेक सरकारों ने इतनी बड़ी संख्या की निगरानी करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। उनमें से अनेक ने राष्ट्रीय स्तर पर सूचक गठित करने और लागू करने का सुझाव दिया है। सिविल सोसाइटी ने भी चिंता व्यक्त की है कि इस प्रक्रिया में लक्ष्य 16 अपनी महत्ता खो सकता है। आरंभ में ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक देश ने अपने सूचक प्राथमिकता क्षेत्रों पर तय किए थे किंतु कभी कभी प्राथमिकताएं शासक वर्ग द्वारा तय की जाती हैं न कि शासितों द्वारा। हमें एसडीजी के कार्यान्वयन में सिविल सोसाइटी की भूमिका पर भी विचार करने की जरूरत है। समानांतर रिपोर्ट बनाने की प्रथा के स्थान पर सरकार, सिविल सोसाइटी और निजी क्षेत्र की समान भागीदारी के साथ व्यापक देशव्यापी रिपोर्ट बनाई जानी चाहिए। नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना इन तीनों की नैतिक और तकनीकी जिम्मेदारी है। कार्यान्वयन, निगरानी और भागीदारी में नागरिकों को संलग्न करने की प्रक्रिया शुरू करना सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है, किंतु क्या सिविल सोसाइटी के पास जमीनी स्तर पर यह क्षमता है। पिछले एक दशक में सिविल सोसाइटी समूहों के क्षमता निर्माण में कोई निवेश नहीं हुआ है। हमें क्षमता निर्माण के लिए स्थान की जरूरत है। यह कथ्यपरक या भौगोलिक हो सकता है। इसे ''वैश्विक'' यानी स्थानीय जमीनी स्तर के अभियानों से लेकर वैश्विक प्रक्रिया तक होना है। एसडीजी को देशों में जमीनी स्तर के अभियानों से संपर्करहित होकर संयुक्त राष्ट्र में कुछ वैश्विक समूहों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों के मैदान तक ही नहीं रहना चाहिए। तीसरे, सिविल सोसाइटी के क्षमता स्थान का संकुचन एक अन्य वैश्विक चुनौती है। एक ओर एफएटीएफ (वित्तीय कार्रवाई कार्य बल) जैसी वैश्विक प्रक्रियाएं प्रत्येक देश को विदेशी कोष के प्रतिबंधित कानून बनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। एफएटीएफ और सिविल सोसाइटी के मध्य कोई संवाद नहीं हुआ है जहां वे अपनी चिंताएं बांट सकें, किंतु प्रतिबंधों का दर्द हर देश में महसूस होता है। इसी प्रकार, लगभग सभी देश संगठन और भाषण की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों से सिविल सोसाइटी संगठनों की जिंदगी को कठिन बना रहे हैं। हम एसडीजी की गाड़ी को एक टूटे पहिए के साथ नहीं चला सकते। और अंत में, निजी क्षेत्र और सिविल सोसाइटी के बीच अधिक सहयोग की जरूरत है जो कभी कभी एक दूसरे के प्रति अज्ञानता से प्रतिबंधित हो जाता है। हमें वैश्विक स्तर पर सुशासन, जवाबदेही और पारदर्शिता के दृष्टिगोचर संकेत विकसित करने की जरूरत है। हर देश में लागू होने की संभावना सहित इस्तांबूल सिद्धांतों पर आधारित ये वैश्विक मानक तय किए जाने चाहिए।

एसडीजी और सिविल सोसाइटी

समय बदल रहा है और हमें अन्य हितधारकों के साथ अपने संबंध पुनः परिभाषित करना जरूरी है। विश्व की अनेक सरकारें सिविल सोसाइटी संगठनों को विकास में 'भागीदार' की बजाय सेवा अदायगी के लिए 'उप–ठेकेदार' के तौर पर देखती हैं। हमें अपनी स्थिति को साबित करने और अपने खोए हुए स्थान को पुनः पाने के लिए काम करने की जरूरत है। हमें सिविल सोसाइटी संगठनों के समूहीकरण और क्षमता निर्माण के लिए निवेश करने की जरूरत है।

हर्ष जेतली
मुख्य कार्य–अधिकारी

गृह मंत्रालय की उचित व्याख्या

— अर्जुन कुमार फिलिप्स, संचार अधिकारी, वाणी

जुलाई से, गृह मंत्रालय का एफसीआरए विभाग अधिक भयावह एफसीआरए कानूनों में परिवर्तन करते हुए अपने कर्तव्य का सक्रियता से निर्वाह कर रहा है। इसमें एफसीआरए का उल्लंघन कर रहे कार्यकर्ताओं पर मामले दर्ज करने से लेकर इसके नीतिगत उद्देश्यों के अधिकाधिक पालन के लिए कानूनों को अनुकूल बनाना शामिल है। संसद द्वारा इस संबंध में कानून बनाए जाने से पहले, एफसीआरए में एक नए संशोधन के प्रस्ताव पर, गैर राजकीय कार्यकर्ताओं ने उत्सुकता से अपने सुझाव प्रस्तुत किए। संशोधन की प्रतिक्रिया में सिविल सोसाइटी ने कुछ प्रावधानों पर कोहराम मचाया जो अभिव्यक्ति और निजता की स्वतंत्रता की भावना के विरूद्ध प्रतीत होते थे। अनेक संगठनों और कार्यकर्ताओं ने इसे उनकी स्वतंत्र सक्रियता का अतिक्रमण और हनन करने वाले माध्यम के तौर पर देखा, जबकि हममें से अनेक ने इसे एक बहु प्रतीक्षित सुधार के रूप में देखा जो प्रमुख मुद्दों पर ध्यान देने में विफल रहा। यह लेख पाठकों को इस बारे में शिक्षित करने, कि क्या सराहनीय था और क्या कमी थी, के उद्देश्य से संशोधन के प्रस्तावों पर प्रकाश डालना चाहता है।

एफसीआरए अधिनियम पिछली सरकार द्वारा सन् 2010 में एक अध्यादेश के जरिए लागू किया गया। तब से इसमें विदेशी धन पर आश्रित संगठनों के लिए कठोर नियम बने हुए थे। इन कॉलमों के माध्यम से, बार–बार यह बताया गया है कि इस अधिनियम की उत्पत्ति परमाणु रिएक्टर के निर्माण के विरुद्ध कुडनकुलम विरोध प्रदर्शनों के कारण हुई है। सभी प्रकार के असंतोष को दबाने (जैसा कि सरकार के आईबी विभाग ने तुरंत मान लिया था कि इन विरोध प्रदर्शनों का प्रबंधन विदेशी दानदाताओं ने किया है) के लिए तत्कालीन सरकार ने आंदोलनकारियों को कुचलने के लिए सभी उपलब्ध साधनों को जब्त कर लिया था। तब से ही, एफसीआरए यह देखने के लिए गृह मंत्रालय का एक अति विशिष्ट विशेषाधिकार बन गया है कि कोई अभियान/संगठन या आंदोलन राज्य के उद्देश्यों के सुचारु प्रवाह में रोड़ा नहीं बन रहा है। 5 वर्षों के बाद और नई व्यवस्था के दूसरे वर्ष में, ऐसा प्रतीत होता है कि एफसीआरए अपनी छवि बदलने और चिंताओं को छोड़ने के लिए तत्पर है।

प्रौद्योगिकी प्रेमी

डिजिटलीकरण के प्रति नई सरकार के लगाव का एफसीआरए पर भी प्रभाव, गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक नवीनतम निर्देश से दिखता है कि एफसीआरए को सभी प्रयोजनों के लिए ऑनलाइन किया जाएगा। यह पहल स्वागतयोग्य किंतु जमीनी स्तर पर इंटरनेट की नगण्य पहुंच वाले संगठनों के लिए समान रूप से चिंताजनक है। किंतु पहले, सकारात्मक असर – एफसीआरए को ऑनलाइन करने से संगठन अपनी सूचनाओं को आसानी से अद्यतन और समयबद्ध तरीके से प्रेषित करने में सक्षम होंगे। यह कहना उचित होगा कि यह निर्देश संगठनों द्वारा विभिन्न अनुपालनों में आने वाली कठिनाइयों को दूर करेगा। यह न केवल संगठनात्मक कार्यभार को कम करेगा बल्कि आंकड़ों को संभालने में गृह मंत्रालय की अक्षमता का भी पुनर्गठन करेगा। यह अच्छी तरह से विदित है कि गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड यथार्थता से परे हैं जिन्हें सनसनी पैदा करने के लिए प्रयोग किया गया है (मीडिया काली सूचियों तथा निरस्तीकरण सूचियों की गलत ढंग से व्याख्या करने के लिए विख्यात है) – उसके

द्वारा सिविल सोसाइटी संगठनों का मिथ्या चित्रण करके, जैसे कि नियमों के उल्लंघन का वातावरण बनाने के लिए उन्हें जिम्मेदार मानकर तथा अपनी घृणित अनैतिक प्रथाओं की नकल करने का प्रलोभन देकर नम्र लाभ अर्जक क्षेत्र के लिए एक नकारात्मक परिपाटी स्थापित करते हुए। कटाक्ष पर ध्यान न देते हुए, ऑनलाइन प्रणाली प्रभाविकता को सुनिश्चित करेगी और विघटन तथा नौकरशाही के स्मृति–लोप से जूझ रहे आंकड़ों को नवजीवन प्रदान करेगी। इसे निश्चित रूप से सरकार के खाते में डाला जा सकता है जो उन सुधारों के अनुकूल है जिनके लिए सिविल सोसाइटी क्षेत्र से पैरवी की जाती रही है। तथापि, घास दूसरी ओर हरी नहीं है; इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले, इंटरनेट सुविधाओं से वंचित संगठनों के लिए अधिकतर जटिलताएं हैं । अधिकांश संगठन ग्रामीण भारत में केन्द्रित समाज के सूक्ष्म स्तर पर कार्य करते हैं। इस चिंता पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि संपूर्ण क्षेत्र के लिए तैयार की गई पद्धतियों की नई श्रृंखला का वे किस प्रकार अनुपालन कर सकते हैं। चाहे प्रधानमंत्री का डिजिटलीकरण के लिए महत्वाकांक्षी भोंपू साल भर में ही बेकार हो जाए तो कौन सा स्थानापन्न से उनके अनुपालन को आसान कर सकता है। जमीनी स्तर के संगठनों के लिए एक अन्य प्रस्ताव डिजाइन किया जाना संस्तुतियोग्य है जिसमें वे भौतिक प्रस्तुति सुविधाओं और ऑनलाइन सुविधाओं दोनों का ही लाभ ले सकें।

फॉर्मों का विलयन

पूर्व अनुमति, बोर्ड गठन में परिवर्तन की धमकी से लेकर कठिन नवीनीकरण प्रक्रिया तक की इसकी उबाऊ धाराओं ने एफसीआरए को एक सिरदर्द बना दिया। हर धारा के साथ इसके नियंत्रण व्यवहार पर जोर देता एक अंकीय रूप से संलग्न चिन्हित फॉर्म था। संशोधन में एफसीआरए पंजीकरण, एफसीआरए नवीनीकरण और पूर्व अनुमति के लिए एक सामान्य फॉर्म लाकर फॉर्मों को पुनः आकार प्रदान किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। फॉर्मों का सरलीकरण सभी प्रकार की प्रक्रिया संबंधी समस्याओं को दूर करेगा और एक एस्प्रिन की तरह काम करेगा; भले ही इसका प्रभाव न्यूनतम हो।

निजता का उल्लंघन

सबसे अप्रत्याशित और घिनौना कदम जिसने सिविल सोसाइटी को क्रोधित किया वह था किसी संगठन के मुख्य अधिकारी, अध्यक्ष और कार्यकारी समिति के फेसबुक और ट्विटर के निजी वेब पते प्रदान करने की अनिवार्य मांग। यह काफी हद तक अस्वीकार्य और भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कटौती को बढ़ावा देती है। यह न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आजादी पर आघात करती है बल्कि व्यक्तियों के निजी जीवन में नियंत्रण प्रणालियां थोपकर मामलों में दखल देने जैसे–स्पर्शक को भी प्रदर्शित करती है। किसी संगठन के प्रमुख के निजी विवरणों की मांग करना वस्तुतः घिनौना कृत्य और सरकार के इरादों में एक आधिकारिक छवि को प्रदर्शित करता है। सोशल वेबसाइटें परस्पर संवाद और व्यक्तिगत गतिविधियों के संचालन के लिए निजी स्थान हैं, सरकार के साथ कारोबार संचालन में इसे शामिल करना भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूर्ण उल्लंघन है और व्यावसायिक संपदा की सभी सीमाओं को तोड़ता है। सरकार को यह भली–भांति जान लेना चाहिए कि एक संगठन व्यक्तियों पर अंतरआश्रित और अवर्णनीय तौर पर संबद्ध होता है। ऐसा नहीं होता कि संगठन के फेसबुक पृष्ठ या ट्विटर हैंडल के सोशल पते के लिए अनुरोध किया जाए। सरकार और मीडिया द्वारा सिविल सोसाइटी पर किए जा रहे आक्रमणों को देखते हुए, सिविल सोसाइटी के साथ सरकार की अपच की पुष्टि करने के लिए यह ताबूत में आखिरी कील थी। क्या गैर–सरकारी संगठन इतने अविश्वसनीय माने जाते हैं कि उन्हें अपनी स्वामिभक्ति को साबित करने के लिए इस लिटमस परीक्षण से गुजरने को कहा जाता है? यह ऐसे यक्ष प्रश्न हैं जिन पर एक लोकतंत्र में कार्यरत और संविधान के प्रति प्रतिबद्ध सरकार की ओर से नैतिक औचित्य जरूरी है। ऐसी स्वतंत्रताओं का सरकार की निगरानी के अधीन हस्तांतरण फूहड़ और अलोकतांत्रिक है। तथापि केवल प्रस्तावित संशोधन और वास्तविक कानून न होने से, इस धारा की आलोचना नीति निर्माताओं के दिमाग में प्रवेश की होगी और आशा की जाती है कि वे इस विचित्र मांग को पुनः संशोधित करेंगे।

अंत में बहुत जल्दी यह निष्कर्ष निकलेगा कि प्रस्तावित संशोधन अपना स्वरूप प्राप्त करेगा। मीडिया की रिपोर्टों ने सुझाव दिया है कि सरकार सिविल सोसाइटी की शिकायतों को सुनने की योजना बना रही है और उसने सोशल पते वाली धारा पहले ही समाप्त कर दी है। डिजिटल हस्ताक्षर पहले ही लागू किए जा चुके हैं जो रिकार्ड रखने में डिजिटलीकरण युग की शुरूआत का संकेत हैं। जबकि हमारा कटु– भाषण कभी खत्म नहीं होगा, फिर भी हमें हर रोज अपने क्षेत्र में आने वाली प्रक्रियात्मक नित्यचर्या को आसान बनाने के सरकार के प्रयासों की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आंखों ही आंखों में देखें लेकिन जब हमसे प्रशंसा की अपेक्षा की जाए तो हमें खुश होकर ऐसा करना चाहिए न कि अपने पूर्वाग्रहों से प्रभावित होना चाहिए।

"आयकर और इसमें सुधार" की जरूरत पर आयोजित बैठक की रिपोर्ट

वॉलटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया, भारत में स्वयंसेवी संगठनों का शीर्ष निकाय, ने स्वयंसेवी संगठनों पर लागू "आयकर अधिनियम में किए जाने वाले जरूरी सुधारों" पर 17 मार्च को एक राउंडटेबल बैठक का आयोजन किया। बैठक में विभिन्न संगठनों के 29 प्रतिनिधियों तथा चार्टर्ड एकाउंटेंटों ने भाग लिया था। ***(प्रतिभागियों की सूची के लिए संलग्नक–2 देखें)***

श्री हर्ष जेटली, सीईओ, वाणी ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और आयकर पर बैठक आयोजित करने की जरूरत के बारे में बताया। उन्होंने प्रतिभागियों को बताया कि आयकर स्वयंसेवी संगठनों के लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर रहा है और इस क्षेत्र के सभी प्रतिनिधि मुख्यतः अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर स्पष्टीकरण चाहते हैं। आयकर पर मध्यस्थता में वाणी की भूमिका को बताते हुए उन्होंने कहा कि वाणी द्वारा आयकर से जुड़ें विभिन्न मामलों पर वित्त मंत्री को कई अपील एवं प्रार्थना पत्र लिखें जा चुके हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि वाणी छूट की राशि रु. 25,00,000 से 1 करोड़ तक बढ़ाने हेतु धारा 2(15) में बदलाव लाने हेतु एक समझौता पत्र तैयार कर रही है। वाणी भारत में स्वयंसेवी क्षेत्र के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में भी महत्वपूर्ण भमिका अदा करती है जिसमें आयकर सुधार, एफसीआरए एवं पंजीकरण नियमों आदि की समीक्षा शामिल है।

उन्होंने यह भी कहा इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आयकर पर एक आम सहमति बनाना और संगठनों को हो रही परेशानियों पर विशेषज्ञों से सलाह मशवरा करना था। उन्होंने बैठक के मुख्य विषयों के बारे में बताया और सभी प्रतिभागियों द्वारा इस पर चर्चा की गई।

श्री शिवकुमार ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार को आयकर अधिनियम सरल बनाकर स्वयंसेवी संगठनों के अच्छे कार्यों में सहायता करनी चाहिए। श्री शिवकुमार ने इस बात को भी दर्शाया कि कुछ वर्ष पहले स्वयंसेवी क्षेत्र ने आयकर सहित अपनी विभिन्न समस्याओं के बारे में सरकार को बताया था और तब इसके परिणामस्वरूप स्वयंसेवी क्षेत्र के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई। यह नीति क्षेत्र के लिए सुगम कार्यवातावरण सुनिश्चित करने के लिए थी और इस बात का भरोसा था कि क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार कई कठिन नियमों को पुनः सरलीकृत किया जाएगा लेकिन यह नीति केवल पेपर में ही बनी रह गई। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि क्षेत्र स्वयं को वित्तीय रूप से कायम रखने में भी सक्षम नहीं है जैसा कि स्वयंसेवी संगठनों द्वारा आय अर्जन से जुड़े कार्यक्रमों को आयकर अधिनियम की धारा 2(15) का उल्लंघन के अंतर्गत शामिल किया गया है।

उन्होंने श्री सुधीर चन्द्रा से अनुरोध किया कि वह अपने संबोधन में आयकर से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपनी टिप्पणी दें तथा समस्याओं से निपटने के लिए प्रतिभागियों का मार्गदर्शन करें।

श्री सुधीर चन्द्रा ने कहा कि आयकर विभाग ऐसे संगठनों की पहचान कर रहा है जो गैर–अनुवर्ती हैं। उन्होंने कहा कि नौकरशाहों की मुख्य प्राथमिकता सरकार के लिए राजस्व सृजन है और बिना वजह संगठनों द्वारा आयकर से जुड़े मामलों को उठाने से कोई समाधान नहीं होगा। वाणी और इसके सीईओ श्री हर्ष जेटली को बधाई देते हुए उन्होंने बताया कि वाणी के निरंतर प्रयासों के कारण ही वित्त मंत्री ने संसद में धारा 2(15) पर अपने विचार रखें। उन्होंने प्रतिभागियों को यह भी बताया कि स्वयंसेवी संगठनों को अपने कार्यकलापों के लिए आय अर्जन करना बहुत

जरूरी है और इसके समर्थन में उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है जिसमें कहा गया है कि चैरिटी को स्व–संधारणीय होना चाहिए और वह निर्धारित सीमा के अनुसार अपने कार्यकलाप एवं आय अर्जन कर सकते हैं।

उन्होंने प्रतिभागियों को बताया कि धारा 80 जी के अधीन सरकार के तीन मुख्य कार्यक्रमों में दानदाताओं के लिए आयकर पर 100 प्रतिशत छूट दी है जिसमें स्वच्छ भारत, स्वच्छ गंगा और नशामुक्ति शामिल है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत शैक्षणिक कार्यकलापों को भी छूट प्रदान की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि स्वैच्छिक विकास संगठनों के अधिकांश कार्यकलाप गरीब एवं पिछड़ें लोगों की सहायता की श्रेणी में रखे जाते हैं।

श्री चन्द्रा से इस बात पर जोर दिया कि कुछ गलत संगठनों की गतिविधियों के कारण पूरे क्षेत्र को परेशानी उठानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग को ऐसे एनजीओ के कार्यकलापों और उनके द्वारा दाखिल की गई वार्षिक विवरणी की जांच करनी चाहिए और इसे अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करना चाहिए जिससे कुछ एनजीओ के गलत कार्यकलापों के कारण पूरे क्षेत्र को निशाना न बनाया जा सकें।

यद्यपि, निर्धारण अधिकारी दवाईयां बिक्री की भाषा नहीं समझता और अधिनियम के अधीन विभिन्न धाराओं की जानकारी न होने के कारण बिना वजह परेशान करता है।

श्री संजय पात्रा ने वर्तमान अधिनियम में विचार करने योग्य विभिन्न विषयों को उठाया–

- नई चैरिटी का गठन हो रहा है लेकिन निर्धारण अधिकारी को जानकारी नहीं होती। वह चैरिटी को केवल उनकी मूर्त संख्या के आधार पर देखता है और संगठन द्वारा किए जा रहे विकासशील एवं शैक्षणिक कार्यकलापों के बारे में जानकारी नहीं होती।

- उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने धारा 2(15) के अधीन कई कठिन संशोधन किए । स्वयंसेवी संगठन आय अर्जन से जुड़ें कार्यकलाप संगठन को कायम रखने और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए करते हैं। स्वयंसेवी संगठनों द्वारा सम्पादित आर्थिक गतिविधियों को छूट दी गई है लेकिन बाद में इसे हटा लिया गया और वर्तमान में रु. 25 लाख तक छूट दी गई है। धारा 2(15) में प्रस्तावित संशोधन छोटे संगठनों के लिए परेशानी लाएगा। उन्होंने सुझाव दिया कि सामान्यतः यह आय का 20 प्रतिशत या 25 लाख जो भी ज्यादा हो, होना चाहिए और इसके कार्यान्वयन से पूर्व तुरंत इसे वित्त मंत्री के विचार के लिए रखना चाहिए।

- ऐतिहासिक घटनाक्रम के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि धारा 12(ए), धारा 10 (23सी) के अंतर्गत स्वयंसेवी संगठनों के लिए रियायतों को धीरे–धीरे हटाया जा रहा है।

- धारा 35एसी प्रक्रियागत होने से अधिक संगठन सीएसआर नियमों को ध्यान में रखते हुए इस पंजीकरण का लाभ उठा सकते हैं जैसा कि एफसीआरए के माध्यम से निधिपोषण में कमी होती है। इस क्षेत्र के हित के लिए बेहतर एसी के लिए विचार करने की जरूरत है। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि 80 जी को स्थाई करना भविष्य के लिए अच्छा कदम है।

- न्यूनतम रु. 2,50,000/– राशि पर कर में छूट है जो कि व्यक्तिगत करदाताओं के लिए भी लागू है। उन्होंने सुझाव दिया कि एनजीओ के लिए कर छूट की प्रारंभिक सीमा रु. 25,00,000/– प्रतिवर्ष होनी चाहिए।

- उन्होंने कहा कि जनहितैषी कार्यों को प्रोत्साहित करना और व्यक्तिगत हितों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कॉर्पोरेट एवं व्यक्तिगत दान पर कर सीमा के लिए प्रावधानों को हटाकर निधिपोषण को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

बिट्रिज बेल, इंडसॉल, मैक्सिको के साथ साक्षात्कार

इस साक्षात्कार में हमें बिट्रिज बेल के साथ जोकि इंडसॉल के कार्यक्रम प्रबंधक हैं के साथ बात करने को मिला

— यह साक्षात्कार वाणी के अर्जुन कुमार फिलिप्स, संचार अधिकारी, द्वारा लिया गया

आप कौन हैं और क्या करते हैं इस बारे में बताएं

मेरा नाम बिट्रिज बेल है, मैं मैक्सिको से हूं और एक सरकारी एजेंसी इंडसॉल या इंस्टीटूटोनेशिनल डि डेसारोलो सोसियल (राष्ट्रीय सामाजिक विकास संस्थान) में कार्य करता हूं और मैं स्वयंसेवी विभाग का प्रभारी हूं।

इस विभाग में हम दो मुख्य शाखाओं में कार्य कर रहे हैं:

(1) स्वयंसेवी प्रयास के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार (प्रेमियोनेशिनल डि एक्सन वालुनटेरी सोलिडेरिया)। मैक्सिको के राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार वर्ष 2008 से दिया गया है। यह हमारे देश में स्वयंसेवी प्रयास का वार्षिक सम्मान है और पुरस्कार में तीन श्रेणियां समूह, व्यक्तिगत एवं युवा पुरस्कार हैं। (www.premioaccionvoluntaria.gob.mx)

(2) स्वयंसेवी कार्य के लिए राष्ट्रीय मंच। प्लेटफॉर्मनेशिनल डि एक्सनवालुनटेरिया–मैक्सिको (प्लेनावॉल–एमएक्स)। यह वर्तमान प्रयास है । इसे हमने इसी वर्ष शुरू किया और पूरे देश में स्वयंसेवी प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए आज 60 विभिन्न सामाजिक कायकर्ता इस मंच का भाग हैं। इसमें एनजीओ, विश्वविद्यालयों, अन्य सरकारी एजेंसियों (जैसे प्रॉक्टर एंड गेम्बल) के सदस्य हैं।

इंडसॉल/प्लेनेवॉल की मुख्य उपलब्धियां क्या है?

इस मंच को हाल ही में मिली कुछ सफलताओं में से एक यह है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी एवं सर्वेक्षण एजेंसी (आईएनईजीआई) के महानिदेशक के साथ एक कमीशन ने मुलाकात की और उन्हें पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रोत्साहित किए जा रहे स्वयंसेवी कार्य की जांच पर एक मैनुअल के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी दी गई। यह मैनुअल श्रम बल या अन्य घरेलू सर्वेक्षणों के नियमित संपूरण के द्वारा स्वयंसेवी कार्य पर प्रणालीगत एवं तुलनात्मक डाटा बनाने में देशों की सलाह के लिए है। इसका उद्देश्य कार्य के महत्वपूर्ण प्रारूप पर एक तुलनात्मक राष्ट्रवार डाटा उपलब्ध कराना है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन अधिकांशतः यह पारम्परिक आर्थिक सांख्यिकी' में उपेक्षित या कदाचित शामिल किया जाता है।

मैक्सिको में स्वयंसेवी मामलों की देखरेख में एजेंसी की भूमिका क्या है?

इंडसॉल एक सरकारी एजेंसी है जिसके पास मैक्सिकों में स्वयंसेवी

कार्यो की देखरेख का प्रभार है। यह एक ऐसी एजेंसी है जो एनजीओ को वित्तीय सहायता में सहयोग देने, कई क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने, स्वयंसेवी विभाग के सृजन एवं प्रशासन पर जानकारी देने, सेवकों की व्यवस्था करने, उनके एनजीओ में नये सेवकों को जोड़ने और उनके विकास के लिए एनजीओ के साथ कार्य करती है। इंडसॉल के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप (www.indesol.gob.mx) देख सकते हैं।

क्या आप आईएवीई और यूएनवी के साथ इंडसॉल/प्लेनेवॉल के संबंधों को समझा सकते हैं?

मंच के दो प्रमुख सहयोगी दो एजीओ है जो आईएवीई द्वारा प्रतिष्ठापित हैं और नवम्बर 2016 में 24वें विश्व स्वयंसेवी सम्मेलन के आयोजक हैं।

स्वयंसेवी प्रयासों का अंतर्राष्ट्रीय संघ, आईएवीई स्वयंसेवी सेवाओं का एक विश्वव्यापी नाम है जो स्वयंसेवी कार्यों को बढ़ावा देने, कार्यकुशलता लाने और कार्यों के अच्छे परिणाम देने के लिए जाना जाता है। ये विश्व में स्वयंसेवी संघों को एक–दूसरे की सहायता करने एवं क्षेत्र के महत्वपूर्ण विषयों पर एक साथ मिलकर कार्य करने का मंच है। https://www.iave.org

यूएनवी के साथ वर्तमान में हमारा थोड़ा बहुत जुड़ाव है क्योंकि इस समय मैक्सिको में यूएनवी को कोई प्रतिनिधि नहीं है। हमने इस समस्या को उठाया और हमें बताया गया था कि अक्टूबर तक यूएनवी के साथ हमारा सम्पर्क व्यक्ति होगा।

खबरें जिनका आप उपयोग कर सकते हैं

दिल्ली में एनजीओ स्थापित करने में विविध समस्याएं

http://www.livemint.com/Politics/9tECTQdxnYZ5aTkFLJ8M1O/The-myriad-problems-in-setting-up-NGOs-in-Delhi.html

सामाजिक बदलाव लाने में एनजीओ की भूमिका पर हस्त गाइड

http://www.dnaindia.com/analysis/standpoint-a-handy-guide-to-helping-ngos-effect-social-change-2110062

बहुत सारे एनजीओ या बहुत कम वर्गीकरण

http://www.livemint.com/Politics/lxq1rJaqruWeVbf2MWmbII/Too-many-NGOs-or-too-little-classification.html

लाभ, लोग एवं भूमंडल में सीएसआर कैसे योगदान कर सकता है

http://www.livemint.com/Opinion/rIMlnmHFnLXPKGEGd4uYCL/How-CSR-can-contribute-to-profit-people-and-planet.html

अब विदेशी निधिपोषित ऑनलाइन लेनदेन जरूरी

http://t.co/OatXIraCAU?fb_ref=Default